

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2015/श्रावण 29, 1937

No. 520]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 647(अ).—कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 364(अ) तारीख 6 मई, 2015 को जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी। उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 6 मई, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 की पहली अनुसूची में अनुच्छेद सं. 2 के सामने, स्तंभ 4 में “अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी” शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“जिला मजिस्ट्रेट”।

[फा.सं. 2(2)2014-ईएक्सपीएलएस.]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में, सं.सा.का.नि. 105(अ) तारीख 18 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2015

G.S.R. 647(E).—Whereas the draft Rules were published to amend Calcium Carbide Rules, 1987, as required by sub-section (2) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 364(E), dated the 6th day of May, 2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 6th day of May, 2015;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 4 of the Petroleum Act, 1934 (4 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Calcium Carbide Rules, 1987, in the first Schedule, against Article number 2, in column 4 under the heading “Authority empowered to grant licence” for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“District Magistrate”.

[F. No. 2(2)2014-Expls.]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 105(E) dated 18th February, 1987.